रके गोरधन की दोनों लडकियां रामा व बसन्तीदेवी के नाम दर्ज करना चाहिये था"।
सन्तीदेवी भी फौत हो चुकी है । और बसन्तीदेवी के दो लडके अपीलान्ट नम्बर 1
तिराम, लालचन्द थे और कोई वारिस नहीं था । लालचन्द की भी मृत्यु हो चुकी है और
पीलान्ट नम्बर 2 लगायत 4 मृतक लालचन्द के पुत्र व पुत्री है जो मुताबिक हिन्दू
रासत अधिनियम गोरधन के वारिस होते है । गोरधन की दो लडकियों के अलावा कोई
डका व औरत नहीं थी, परन्तु ग्राम पंचायत विलंग ने नियम व कानून के विपरीत गोरधन
उक्त आराजी पर अपीलधीन दाखिल खारिज को केवल रेस्पो0 नम्बर 1 रामा के नाम
मल कर दिया । इसलिए यह दाखिल खारिज कानून व नियमों के विरूद्ध होने के
रण काबिल निरस्ती है । दाखिल खारिज की प्रमाणित प्रति पेश की है । रामा रेस्पोडेन्ट
बर 1 ने दिनांक 08.3.2018 को उक्त आराजी का वयनामा दुरभावनापूर्ण तरीके से
लतसिंह पुत्र फगनीराम जाति जाटव निवासी नगला हरचन्द तहसील कामां को कर दिया
। जबकि उसको गोरधन की सम्पूर्ण आराजी का बयनामा कराने का कोई अधिकार नहीं
। उक्त आराजीयान में गोरधन के 1/2 हिस्से पर हम अपीलान्ट का कब्जा वहैसियत
स चला आ रहा है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज
र 2078 ग्राम पंचायत विलंग पं0सं0 कामां दिनांक 6.03.2018 को निरस्त फरमाया
।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब
गया । रेस्पोडेट उपस्थित आये । जबाव के लिए समय चाहा गया । समय दिया
। जबाव नही देने पर पत्रावली बहस में रखी गयी । श्री दौलतसिंह पुत्र फगनीराम
जाटव निवासी ग्राम नगला हरचन्द तहसील कामां ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1
10 के तहत पेश कर पक्षकारों की बहस सुनकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1
10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 को खारिज किया गया है । आदेश दिनाक 19.
18 की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई दिनांक 25.
18 को पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है ।
आगे चलाना नही चाहते हैं । इसी कारण निगरानी खारिज की गई है ।

एक पक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को
या एवं कहा कि अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए
त खसरा नम्बरों की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2076 ग्राम विलंग अपनी एवं सिजरा
चायत गण्डूरा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ व नगरपालिका मण्डल कामां पेश किया ।
न्त में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार का दाखिल खारिज नम्बर
ग्राम पंचायत विलंग खारिज किया जावे ।

हमने अपीलान्ट की अपील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को साबित करने
ए पेश दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सं0 2069–2076 ग्राम बिलग सिजरा ग्राम गडूरा व
लिका कामां का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के वकील द्वारा की गई बहस पर
किया एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विवादित आराजी, रेस्पोडेण्ट नं0 1 कामां को
त से नामान्तकरण 2078 से मृतक गोरधन से प्राप्त हुई थी। मृतक गोरधन विवादित
ी का रिकार्डे खातेदार था एवं ग्राम पंचायत गण्डूरा एवं नगरपालिका कामां द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 01/18

1–रतिराम पुत्र लल्लूराम

2–बन्ती पत्नि लालचन्द पुत्री लल्लूराम

3–राजू पुत्र लालचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम गण्डूरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

4–गीता पुत्री लालचन्द पत्नि शिवसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम धरसोणी तहसील नदबई

अपीलान्टस

बनाम

1–रामा पुत्री गोरधन पत्नि देवीराम जाति जाटव निवासी ग्राम नगला हरचन्द तहसील कामां हाल निवासी ग्राम वांसा होडल तहसील पलवल जिला पलवल (हरियाणा)

2–ग्राम पंचायत विलंग जरिये सरंपच ग्राम पंचायत विलंग तहसील कामां

3–तहसीलदार कामां

रेस्पोडन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध दाखिल नम्बर 2078 ग्राम पंचायत विलंग पं0सं0 कामां दिनांक 6.03.2018

उपस्थित अधिवक्ता

श्री फूलचन्द गुप्ता अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः 17.02.2021

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध दाखिल नम्बर 2078 ग्राम पंचायत विलंग पं0सं0 कामां दिनांक 6.03.2018 के आ0ख0नं0 106/0.08, 107/0.08, 218/0.06, 219/0.14, 100/0.10, 101/0.11,वाके ग्राम बिलंग तहसील कामां की पेश की यह है कि आराजीयात में से गोरधन पुत्र बुद्दा खसरा नम्बर 106, 107, 218, 219 में 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 100, 101 में 1/6 हिस्सा था । गोरधन फौत हो चुका है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी दो लडकियां रेस्पो0 नम्बर 1 रामा एवं अपीलान्ट नम्बर 1 रतिराम की मां बसन्तीदेवी उर्फ मल्लो उसकी वारिस थी क्योंकि गोरधन जाति से जाटव था और हिन्दू परिवार का था परन्तु पटवारी ने अपीलाधीन दाखिल खारिज से केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का नाम ही दर्ज किया और रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ग्राम पंचायत विलंग ने विरासत की जांच किये बिना अपीलाधीन दाखिल खारिज को दिनांक 6.3.2018 को फैसल कर दिया तथा जमाबन्दी में गोरधन के स्थान पर रामा का इन्द्राज हो गया जबकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को गोरधन के वारिसान की जांच

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

यह है कि पक्षकारान मुकदमा में से कोई भी पक्ष नाबालिग या

Scanned with CamScanner